भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *263

उत्तर देने की तारीख 18.12.2025

विदेश में अध्ययन करने के आकांक्षी जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

† *263. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में अध्ययन करने के आकांक्षी जनजातीय छात्रों के लिए देश में उपलब्ध वित्तीय सहायता योजनाओं और छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटित, संवितरित और लंबित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2015 से प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2015 से ऐसी किसी योजना या छात्रवृत्ति को रोक दिया गया है या इसके अंतर्गत लाभों की मात्रा को कम कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभों में कितनी कमी की गई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) क्या किसी छात्र को ऐसी वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति का कोई भुगतान लंबित है, यदि हां, तो योजना का नाम, लंबित धनराशि और लाभ का भुगतान नहीं पाने वाले लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"विदेश में अध्ययन करने के आकांक्षी जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" के संबंध में श्री जयन्त बसुमतारी, माननीय संसद सदस्य के द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 263 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना अर्थात् राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) को लागू करता है, जो बीस (20) पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मास्टर, पीएच.डी. और पोस्ट-डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र उम्मीदवार जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें संस्थान का शुल्क, वीजा शुल्क, वार्षिक रखरखाव भत्ता, चिकित्सा बीमा, भारत से शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक इकोनॉमी क्लास द्वारा जाने और भारत वापस आने के लिए वास्तविक आधार पर हवाई मार्ग अनुदान आदि शामिल हैं। विस्तृत योजना दिशानिर्देश https://tribal.nic.in/downloads/guides/NOS/RevisedGuidesNOS07102022.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ख): एनओएस योजना के तहत बजट आवंटन और व्यय संवितरण के संबंध में विवरण नीचे सारणीबद्ध हैः-

पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) के तहत आवंटित और वितरित कुल धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित धनराशि (सं.अ.)	वितरित धनराशि
1	2015-16	0.72	0.39
2	2016-17	0.39	0.39
3	2017-18	1.00	1.00
4	2018-19	2.00	2.00
5	2019-20	2.00	2.00
6	2020-21	4.76	4.76
7	2021-22	4.95	4.95
8	2022-23	4.00	4.00
9	2023-24	7.00	7.00
10	2024-25	6.00	6.00

ग): अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या के संबंध में 2015 से राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): नहीं, श्रीमान। एनओएस योजना को 2015 से न तो रोका गया है और न ही इसके लाभों में कोई कमी की गई है।

(ङ): एनओएस योजना के तहत, छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं और संबंधित विदेशी विश्वविद्यालयों को सभी स्वीकार्य भुगतान सीधे विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/दूतावास द्वारा किए जाते हैं। इस तरह के भुगतान करने के बाद, विदेश मंत्रालय प्रतिपूर्ति के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को वाउचर प्रस्तुत करता है। मंत्रालय प्राप्त वाउचर के अनुसार विदेश मंत्रालय को प्रतिपूर्ति करता है। इसलिए, लाभार्थियों का कोई भी व्यक्तिगत भुगतान जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास लंबित नहीं रहता है।

अनुलग्नक-I

"विदेश में अध्ययन करने के आकांक्षी जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 263 के उत्तर के भाग ग के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक।

राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	2						2		1		3
अरुणाचल प्रदेश				2		2			2	1	1
असम		2	2	1	1	2					
छत्तीसगढ़	1		1				1			1	
गोवा			1			1				2	
गुजरात		1						1			
हिमाचल प्रदेश		1									
जम्मू और कश्मीर	1	1	1	2		1	1	1			1
झारखंड		2		2		3	1	1		1	1
कर्नाटक	1	1	1					1		1	2
लद्दाख					2	1		1		1	1
मध्य प्रदेश			1					1			
महाराष्ट्र	1		1		3	1		2	1	1	1
मणिपुर	2	2	4	3	5	5	5	5	4	6	6
मेघालय	1				2		1		2		1
मिजोरम		2	1	2			2		1	2	2
नागालैंड	1	2	1	1			2		1	3	
ओडिशा	1		1	1	1			1			1
राजस्थान	1		2	2			1		1		1
सिक्किम											1
तमिलनाडु		1							1		
तेलंगाना	3	1	2	2	3	3	1	3	6	4	
त्रिपुरा				1	1	1	0				
उत्तराखंड					1						
पश्चिम बंगाल			1	1	1			1			
कुल	**15**	**16**	**20**	**20**	**20**	**20**	**17**	**18**	**20**	**23***	**22****

* चयन वर्ष 2021-22 से तीन स्लॉट आगे बढ़ाए गए ; * * चयन वर्ष 2022-23 से दो स्लॉट आगे बढ़ाए गए

*****